शीर्ष प्राथमिकता

संख्या जी0आई0-02/52-1-14-01(105)/13

प्रेषक,

जय प्रकाश पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 04 फरवरी, 2014

विषय- बारहवीं पंचवर्षीय योजना में मल्टी सेक्ट्रोरल डेवलपमेण्ट प्लान के अन्तर्गत जनपद बदायूँ के विकास खण्ड-दहगवाँ के ग्राम नसीरपुर टप्पा मलसयी में एवं विकास खण्ड कादर चौक के ग्राम चौडेरा में राजकीय बालिका इण्टर कालेज के निर्माण हेतु केन्द्रांश की प्रथम किश्त एवं उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(8)/2012-पी0पी0, दिनांक 20-09-2013 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत कार्य के लिए कुल अनुमोदित लागत से कार्य करने हेतु कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित कने तथा अवर सचिव, अल्पसंखयक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 472.50 लाख (रू0 चार करोड़ बहत्तर लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त रू0 236.26 लाख (रू0 दो करोड़ छत्तीस लाख छब्बीस हजार मात्र) तथा उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश रू0 78.75 लाख (रू0 अठहत्तर लाख पचहत्तर हजार मात्र) अर्थात् कुल रू0 315.01 लाख (रू0 तीन करोड़ पन्द्रह लाख एक हजार मात्र) योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राविधानित बजट रू0 5198.92 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 2828.02 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं।

https://Shasanadesh.up.nic.in

(केन्द्रांश 75 एवं राज्यांश 25 प्रतिशत) (रू0 लाख में)

विकास खण्ड-दहगवाँ										
क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	कुल लागत	अवमुक्त प्रथम किश्त (50 प्रतिशत)		अवमुक्त कुल धनराशि (के0/रा0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	बदायूँ	ग्राम नसीरपुर टप्पा मलसयी में रा0बालिका इण्टर कालेज का निर्माण	01	315.00	236.25	78.75	315.00	118.13	39.375	157.505
विकास खण्ड-कादर चौक										
1	बदायूँ	वि0 खण्ड कादरचौक के ग्राम चौडेरा में राज0 बालिका इण्टर कालेज का निर्माण	01	315.00	236.25	78.75	315.00	118.13	39.375	157.505
						योग	**630.00**	**236.26**	**78.75**	**315.01**

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जाय। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।

2- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यम से कार्यदायी संस्था " कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ" के निदेशक को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को 03 माह में गुणवत्ता एवं विद्यालय भवन के मानक के अनुसार अनुमोदित लागत से पूर्ण किया जायेगा। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के निदेशक, के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम ऑ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-2 पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों की अधीन किया जायेगा। निर्माण कार्य में शासनादेश संख्या-821/52-1-09-1(1)/09, दिनांक 30 मार्च, 2009 के प्राविधानों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-2 पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की

https://Shasanadesh.up.nic.in

अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चितकिया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

6- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। विद्यालयों के भवनों की डिजाइन वही होगी जो केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है।

7- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8- जिलाधिकारी द्वारा समय-2 पर निर्माणाधीन विद्यालय भवन की गुणवत्ता की जाँच करायी जायेगी, ताकि निर्माण कार्य अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण हों। धनराशि के व्यय करने की हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स एवं ग्रामों/स्थलों की सूची की दो-02 प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा प्रति हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

9- उक्त निर्माण कार्य हेतु निर्विवाद रूप से भूमि की उपलब्धता की पुष्टि कर लेंगे।

10- इस योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का 01 पृथक लेखा अनुदान ग्राही (Grantee) द्वारा मेन्टेन किया जायेगा।

11- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय- 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0109-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों का भवन निर्माण/अतिरिक्त कक्षा-कक्षों/जर्जर भवनों का निर्माण (के0 75/रा0 25-के0+रा0)-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

12- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-11-1482/दस-2013, दिनांक 02.12.2013 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है। भवदीय,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
उप सचिव।

https://shasanadesh.up.nic.in

संख्या जी0आई0-02 (1)/बावन-1-2013तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग।

4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

5- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

6- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

7- प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

8- निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य योजना से अनुदान न प्राप्त किया गया हो।

9- निदेशक, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत विद्यालय-भवन का समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने का कष्ट करें।

10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

11- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बदायूँ।

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।

13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
उप सचिव।

https://Shasanadesh.up.nic.in